



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215283
CG-DL-E-10012020-215283

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]
No. 65]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2019

का.आ. 67(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि “पटना - मोतिहारी - बैतालपुर शाखा पाइपल” अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु जिला सारन, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र असाधारण में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री जगदीश प्रसाद सिंह,

सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निर्माण कार्यालय, (पाइपलाइन्स डिवीजन) पटना, पी०एम०बी०पी०एल० 34, नीशी कुंज, बसंत बिहार कॉलोनी, बोरिंग रोड, जिला पटना, पिन: 800001, बिहार को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : सारन		राज्य : बिहार			
मौजा /ग्राम	सर्वे / ब्लाक /सं.(प्लोट सं.)	सब-डीव-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1 राजमल पिरारी थाना नंबर : 261	2 280	3	4 00	5 01	6 30
हसनपूरा थाना नंबर : 516	67		00	01	07
काजीपुर थाना नंबर : 514	52		00	01	46

[फा. सं. आर-11025(11)/196/2017-ओ आर-I/ई-9925]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

S. O. 67(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in District Saran in the State of Bihar for “Patna - Motihari - Baitalpur Branch Pipeline” for the transportation of Petroleum Product;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published Extra Ordinary in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Jagdish Prasad Singh, B.A.S. & Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), PMBPL 34, Nishi Kunj, Basant Bihar Colony, Boring Road, Dist. Patna (Bihar.) Pin – 800020.

SCHEDULE

District : Saran			State : Bihar		
Mouja / Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Rajmal Pirari Thana No. 261	280		00	01	30
Hasanpura Thana No. 516	67		00	01	07
Qajipur Thana No. 514	52		00	01	46

[F.No. R-11025(11)/196/2017-OR-I/E-9925]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.